

सेवा में,

विद्युत लोकपाल,
तृतीय तल, नेडा भवन,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय:- उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम
के निर्णय/द्वारा कार्यवाही न करने के विरुद्ध अभ्यावेदन।

महोदय,

मेरे द्वारा उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम..... के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था जिसकी वाद सं०..... है। उक्त परिवाद पर फोरम ने दिनांक..... को अपना निर्णय दिया (प्रतिलिपि संलग्न है)/ तीन माह के उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, (फोरम में प्रस्तुत शिकायत की प्रति संलग्न) जिससे असंतुष्ट/व्यथित होकर मैं आपके समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिवाद का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

- 1- उपभोक्ता का नाम.....
एवं पता
- 2- टेलीफोन न०..... फैक्स न०..... ई-मेल.....
लाईसेंसी के सम्बन्धित.....
कार्यालय का नाम एवं
- 3- पूरा पता
- 4- संयोजन सं० विधा भार.....
अभ्यावेदन के तथ्यों का
संक्षिप्त विवरण
(अभिलेखीय प्रमाण सहित).....
- 5- वाँछित अनुतोष (राहत)
- 6- कोई अन्य सुसंगत तथ्य
- 7- उ०व्य०नि०फोरम के आदेश के अनुपालन में जमा होने वाली धनराशि का न्यूनतम 33 प्रतिशत जमा करने का साक्ष्य.....
- 8- उ०व्य०नि०फो० में वाद दायर करने की सभी औपचारिकताओं के पूर्ण करने का साक्ष्य

-: घोषणा :-

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि :-

अ:- उपरोक्त सभी तथ्य/जानकारी सत्य एवं सही है।

ब:- सम्बन्धित विषय वस्तु के अभ्यावेदन पर किसी न्यायालय, अभिकरण, विद्युत लोकपाल या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में निपटारा नहीं हुआ है।

स:- अभ्यावेदन ऐसे मामले से सम्बन्धित नहीं है जो किसी न्यायालय, मध्यस्थ, अभिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है।

संलग्नक.....

दिनांक.....

अपीलकर्ता/प्रतिवेदनकर्ता के हस्ताक्षर.....
एवं नाम.....

नोट :- अभ्यावेदन तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाय।